

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग्यारह'

प्रश्न सं. [क. 4748]

[24/3/2017]

प्रश्नांश (ख) का उत्तर

विधान सभा प्रश्न क्रमांक- 4748 (उत्तराधिकार) की जानकारी
प्रदान करती :- मा. विभागाध्यक्ष श्री कमलेश्वर पटेल.

मा. में पेट्रोल, डीजल, पर वेट की दर।

परिशिष्ट

(प्रतिशात में)

अ.क्र.	वस्तु का नाम	वेट की दर
1	पेट्रोल	31% (मूल्य आधारित) (20.12.2014 से)
2	डीजल (एच.एस. डी.)	अतिरिक्त कर - 4 रुपये प्रति लीटर (दिनांक 18.08.2016 से प्रभावशील) 27% (मूल्य आधारित) (20.12.2014 से)
3	डीजल (एल.डी. ओ.)	अतिरिक्त कर - 1 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर (दिनांक 23.01.2016 से प्रभावशील) 14% (मूल्य आधारित) (दिनांक 01.04.2015 से प्रभावशील)

अनुभाग अधिकारी
नरेश प्रवेश शास्त्र, कनिष्ठिक कर विभाग,
मंत्रालय, भूपाल

संचालक
गाणेशिक कर, मध्यप्रदेश